

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक संस्कार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए कि किसी अन्य प्राधिकरणों के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में एक व्यवस्था हुआ हो तो एक प्रमाण एवं दिनांक प्रस्तुत किया जाने चाहिये होगा।



आफ : ग्वालियर
दूरभाष : (0751) 2241096
(0751) 2442022
फैक्स : (0751) 2541768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक.एफ.सम्बद्धता/2012/5420

दिनांक 23/11/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौधरी कमल सिंह महाविद्यालय, गौ., ग्राम (07539-285654) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड., पाठ्यक्रम तथा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वाधीन समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिच्छेद 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है।


- (1) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)
- (2) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. धादव, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिच्छेद 27(2) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सूचना, संशोधन, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संख्या से प्राप्त अनुसंधान/अनुसंधान प्रमाण-पत्र, भवन, प्रीजा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किव्स तथा पिछले सत्र में की गई शर्तों की पूर्ति नव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अंकित करें।

स्वाधीन समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं बचा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निम्नानुसार अर्चण्ड जन्मा करणकर मनीष समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिच्छेद 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधान्तिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रचारकी लेकर जानेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगा। निरीक्षण समिति के सदस्यों को सी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)